

# अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3/22 RTA

नाम (डी) / 14/2017

2023/317

हुस या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुस की तामील  
जारी हुए

श्री रजिय अरोफ

श्री इंद्रिय 14-2017. 2

8.12.25

पत्रावली पेश की गई। वकूलाधु उप.। अदिभाषक  
उपपक्ष बहम हेतु लपप चाहते हैं - 11/11/17-  
जला है, शायद बहम करे। पत्रावली वास्ते  
बहम प्राप्त लगन दिनांक 15/01/26 को पेश हो

16/1/26

पत्रावली पेश की गई। अदिभाषक उपपक्ष **राजस्व अपील प्राधिकारी**  
अदिभाषक रेखो बहम हेतु लपप चाहते हैं।  
शायद जाना है शायद बहम करे। पत्रावली वास्ते  
बहम प्राप्त लगन दिनांक 29/01/26 को पेश हो


29/01/26

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं रेखो. उपस्थित।  
राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य  
रयमित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते  
दिनांक 19/02/26 को पेश हो

19/2/26

पत्रावली पेश की गई। अदिभाषक अपीलान्ट एवं अपीलान्ट  
अनुपस्थित। अदिभाषक रेखो उपस्थित। अदिभाषक  
अपीलान्ट एवं अपीलान्ट को फई बाट कड-कड  
कर दावाजे खिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं है।  
मेल: अपील - अपीलान्ट आप हाजरी - आप फई-के  
खातिर की जाती है पत्रावली फैसलरुपात हितर 14/2017  
पेश हो

**राजस्व अपील प्राधिकारी**  
अजमेर



न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील/टीए/ 317 /2023/जिला अजमेर

2023/317

1. नोसरदेवी पत्नि नाथू
  2. सन्तरा पुत्री नाथू
  3. मीरादेवी पुत्री नाथू
  4. हेमराज पुत्र नाथू
  5. कानाराम पुत्र नाथू
  6. प्रधान पुत्र नाथू
  7. महेन्द्र पुत्र नाथू
- समस्त जाति बेरवा, निवासी ग्राम गोठियाना, तहसील अंराई, जिला अजमेर।

-- अपीलांट्स

बनाम

1. रामकॉवरी पत्नि रोडू
  2. भगचन्द पुत्र रोडू
  3. रामनिवास पुत्र रोडू
  4. हनुमान पुत्र रोडू
  5. पार्वतीदेवी पुत्री रोडू
  6. सन्तोषदेवी पुत्री रोडू
  7. विमला पत्नि हरिराम
  8. नरेश पुत्र हरिराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता विमला
  9. पुजा पुत्री हरिराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता विमला
  10. मोनिका पुत्री हरिराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता विमला
- समस्त जाति बेरवा, निवासी ग्राम गोठियाना, तहसील अंराई, जिला अजमेर।
11. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा अंराई, तहसील अंराई, जिला अजमेर।
  12. उप पंजीयक अंराई
  13. श्रीमान् तहसीलदार तहसील अंराई, जिला अजमेर।

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 6.10.2023 जो की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 62/2023 बउनवानी "नोसरदेवी बनाम रामकॉवरी" में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्नांकित निवेदन है:-